राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

—2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर ।
Tel./Fax.0141-2709319 Email - rscpcr.jaipur@gmail.com Website: rscpcr.rajasthan.gov.in

क्रमांक :— 7016 दिनांक 25.10.17

शासन सचिव,
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :— राजकीय एवं गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 14—20 नवम्बर, 2017 तक बाल दिवस सप्ताह मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी की बैठक दिनांक 04.09.2017 में अति0 मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से हुई वार्तानुसार एवं आयोग की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को बाल दिवस एवं 20 नवम्बर, 2017 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस समारोह राज्य में मनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि राजकीय एवं गैर राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक—बालिकाओं को बाल अधिकारों की जानकारी प्रदान करते हुए निम्नांकित गतिविधियां आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें :—

- 14 नवम्बर, 2017 को बाल अधिकारों एवं उनके संरक्षण पर बच्चों को जानकारी दी जावे एवं संकट की स्थिति में चाईल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल आयोग से संपर्क करने से अवगत कराया जावे तथा बाल दिवस के सम्बन्ध में जानकारी एवं (सम्पूर्ण राजस्थान के समस्त शिक्षण संस्थानों में एक ही समय प्रातः 11.00 बजे एक साथ) गुब्बारे उड़ाये जावे तथा बाल सप्ताह के प्रारंभ होने की घोषणा की जावे।
- 15 नवम्बर, 2017 को **"बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं"** विषय पर वाद—विवाद एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जावे साथ ही टीकाकरण के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु संबंधित विभाग द्वारा मेडीकल चैकअप किया जावे तथा बच्चों को अवगत कराया जावे।
- 16 नवम्बर, 2017 को बच्चों को संस्थान के प्रबन्धन में सहभागिता हेतु कमेटी या क्लब का गठन किया जावे तथा उनकी बातों को प्रबन्धन में उचित रूप से सुना जावे। बच्चों की अंताक्षरी एवं गायन प्रतियोगिता आयोजित की जावे।
- 17 नवम्बर, 2017 को बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं उसके उद्देश्यों से अवगत कराया जावे एवं यथा संभव अभिभावको को भी आमंत्रित कर उन्हें भी शिक्षाके महत्व से अवगत करवाया जावे। शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाते हुए उन्हें लाभान्वित करने हेतु समारोह का आयोजन किया जा सकता है।
- 18 नवम्बर, 2017 को बच्चों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए **"गुड टच एवं बैड टच"** के बारे में समझाया जावे एवं कोई प्रेरणास्पद फिल्म दिखाई जावे। गायन प्रतियोगिताऐं आयोजित की जावे।

www.rajteachers.com

- 19 नवम्बर, 2017 को बच्चों को बाल विवाह एवं बालश्रम कानूनों के बारे में जानकारी एवं उनके दुष्परिणामों से अवगत कराया जावे तथा अभिभावकों को भी विशेष रूप से अवगत कराया जावे साथ ही बाल विवाह एवं बालश्रम से संबंधित कोई फिल्म भी दिखाई जावे।
- 20 नवम्बर, 2017 को बच्चों को पर्याप्त पोषण कैसे प्राप्त हो इस संबंध में उसके महत्व एवं आवश्यकता को दर्शाने वाली जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों, एएनएम द्वारा दी जावे तथा अभिभावकों को भी अवगत कराया जावे। स्थानीय खेल प्रतियोगिता रखी जावे जैसे : खो–खो, दौड़, रुमाल झपट्टा, रस्सा–कस्सी, सतोलिया, कबड्डी इत्यादि। 20 नवम्बर, 2017 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस के संबंध में बाल सप्ताह के समापन का कार्यक्रम जिसमें वाद–विवाद, चित्रकला, गायन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जावे तथा सुरक्षित बचपन की शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन किया जावे।

राज्य में बाल दिवस सप्ताह के सफल आयोजन हेतु राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा श्री ब्रह्मप्रकाश आर्य, उपनिदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका दूरभाष नं0 94147–84326 है।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– 7017 – 7106 दिनांक 25.10.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।
2. निदेशक एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, पंचायत शिक्षा अधिकारी तथा निजी एवं राजकीय प्रधानाचार्यों को उपरोक्तानुसार सूचित करें तथा प्रेस नोट जारी कर समाचार पत्रों की कतरन के साथ समस्त संस्थानों में की गई गतिविधियों का विवरण प्राप्त कर दिनांक 27–11–2017 तक आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त निजी तथा राजकीय प्राथमिक / उ0 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को उपरोक्तानुसार सूचित करें तथा प्रेस नोट जारी कर समाचार पत्रों की कतरन के साथ समस्त संस्थानों में की गई गतिविधियों का विवरण प्राप्त कर दिनांक 27–11–2017 तक आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त बाल कल्याण समिति
9. सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्थाऐं ....
10. श्री ब्रह्मप्रकाश आर्य, उप निदेशक
11. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राजस्थान, जयपुर

www.rajteachers.com